



# DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288  
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

REF: DSIL/2023-24/311

March 01, 2024

Corporate Relationship Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001  
Fax: 22723 2082 /3132

National Stock Exchange of India Limited  
“Exchange Plaza”  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra [E], Mumbai - 400 051

**Scrip Code - 532610**

**Scrip Code – DWARKESH**

**Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Madam,

This is with reference to an email received from Query LODR stating **Additional Details Required under SEBI Circular dated July 13, 2023, for Corporate Announcement filed under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. - Submit disclosure of communication received from any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority as per Regulation 30(13) of SEBI (LODR) Regulations 2015.**

With reference to our earlier letter dated February 29, 2024 vide Letter no. REF: DSIL/2023-24/310 and the captioned subject and pursuant to **Regulation 30 read with Part A of Schedule III** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI LODR), enclosed please find the Show Cause Notice (enclosed as **Annexure - A**) and order dated February 29, 2024 (enclosed as **“Annexure – B”**) received from the Chief Environment Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board, stating details with respect to non- compliance and levying a penalty of ₹ 60,000/- (Sixty Thousand Only) on the Company, under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

**For Dwarikesh Sugar Industries Limited**

**B J MAHESHWARI**  
**Managing Director & CS cum CCO**  
**DIN: 00002075**

**Encl: as above**



# DWARIKESH SUGAR INDUSTRIES LIMITED

Corp. off.; 511, Maker Chambers V, 221, Nariman Point, Mumbai – 400021. Tel.: 2283 2486, 2204 2945, Fax: 2204 7288  
E Mail: dsilbom@dwarikesh.com Website: www.dwarikesh.com, CIN: L15421UP1993PLC018642

Annexure – B”.

Disclosure as per Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

<b>Name of the authority(s)</b>	Uttar Pradesh Pollution Control Board
<b>Nature and details of the action(s)</b>	Imposition of penalty of ₹ 60,000/- (Sixty Thousand Only) on Dwarikesh Nagar Unit, Dist. Bijnor, Uttar Pradesh
<b>Date of receipt of communication from the authority</b>	February 29, 2024
<b>Details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;</b>	Sample of treated water was collected by CPCB on 24 <sup>th</sup> May 2023 and after analysis TDS were found on little higher side than norms.
<b>Impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.</b>	To the Extent of Penalty levied.



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

107721

सी-7/जल-128/2024

दिनांक

29-2-24

सेवा में,

उद्योग मै0 द्वरिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0 (शुगर इकाई),  
ग्राम-बुन्दकी, द्वरिकेश नगर, तहसील-नगीना,  
जिला-बिजनौर। (9935055547)

विषय : -बोर्ड के पत्र संख्या-एच00427/सी-7/जल-128/2023 दिनांक 08.09.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) के अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपाठित 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को रूपये 60,000/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या-एच00427/सी-7/जल-128/2023 दिनांक 08.09.2023 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपाठित 27 (2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस का संज्ञान लें।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के पत्र दिनांक 21.12.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया है कि उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 16.12.2023 को किया गया जिसमें उद्योग से निस्तारित नमूने में समस्त प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये तथा उद्योग द्वारा दिनांक 26.05.2023 को ई0टी0पी0 के आउटलेट का नमूना मै0 आई0टी0एस0 टेस्टिंग लैबोरेट्री प्रा0 लि0, नोएडा से कराया गया जिसमें समस्त प्रचालक मानकों के अनुरूप पाये गये।

उपरोक्त तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली के पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से की गई संस्तुति के दृष्टिगत मै0 द्वरिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0 (शुगर इकाई), ग्राम-बुन्दकी, द्वरिकेश नगर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर के विरुद्ध थर्ड पार्टी निरीक्षण दिनांक 24.05.2023 से उद्योग द्वारा कराये गये विश्लेषण दिनांक 26.05.2023 तक कुल उल्लंघन दिवस 02 दिवस हेतु रूपये 30,000/-प्रति दिन की दर से रूपये 60,000/-मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बोर्ड के पत्र संख्या-एच00427/सी-7/जल-128 /2023 दिनांक 08.09.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निक्षेपित किया जाता है।

उद्योग मै0 द्वरिकेश शुगर इण्डस्ट्रीज लि0 (शुगर इकाई), ग्राम-बुन्दकी, द्वरिकेश नगर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 60,000/- (रू0 साठ हजार मात्र) को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सं0-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमाकर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली को इस निर्देश के साथ की उक्त निर्देशों के क्रम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, WMD-1 & 2, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कारण बताओ नोटिस को आई0एम0एस0 पोर्टल पर उपलोड किये जाने हेतु से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7